2026:CGHC:19548

2026:CGHC:19548

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक–999/2026

- छोटूराम चन्द्रवंशी पिता–स्वर्गीय रामरतन चन्द्रवंशी, उम्र–लगभग 47 वर्ष, निवासी–लखनपुरखुर्द, पुलिस थाना–बोडला, जिला–कबीरधाम, छत्तीसगढ़

–––––अपीलार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना–तरेगांव जंगल, जिला–कबीरधाम, छत्तीसगढ़

–––––उत्तरवादी/राज्य

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा	:	श्री समीर सिंह, अधिवक्ता ।
राज्य/उत्तरवादी द्वारा	:	सुश्री अवलीन जुनेजा, पैनल अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! आदेश पीठ पर पारित !!

28/04/2026

1. धारा 14(क)(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे संक्षेप में "विशेष अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत

प्रस्तुत इस अपील में विचारण न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (विशेष अधिनियम), कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा पुलिस थाना–तरेगांव जंगल, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के अपराध क्रमांक–03/2026 अंतर्गत धारा 318(4), 316(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विशेष अधिनियम की धारा 3(2)(v), 3(2)(vक) के तहत प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन में पारित आदेश दिनांक–11/03/2026 को चुनौती दी गई है जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश को संक्षेप में "प्रश्नाधीन आदेश" से संबोधित किया जा रहा है ।

2. अभियोजन का मामला इस आशय का है कि प्रार्थी सिद्धराम मसराम, सचिव, ग्राम पंचायत कुकरापानी, थाना तरेगांव जंगल, जिला कबीरधाम द्वारा थाना तरेगांव जंगल में प्रस्तुत लिखित आवेदन के आधार पर यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ट्रायबल एवं बैगा आवास योजना के अंतर्गत 17 बैगा परिवारों के मकान निर्माण हेतु ग्राम पंचायत कुकरापानी के बैंक खाता क्रमांक 77075410408, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, शाखा बोडला में कुल राशि ₹21,50,000/– दिनांक 30.10.2024 को जमा हुई थी । उक्त राशि को मकान निर्माण कार्य कराने के लिए तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी (सहअभियुक्त) एवं ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी (अपीलार्थी/आवेदक) को प्रदान किया गया था, किंतु आरोपियों द्वारा राशि प्राप्त करने के पश्चात आज दिनांक तक किसी भी हितग्राही का मकान निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है । आरोपियों ने मकान निर्माण कराने के नाम पर उक्त राशि छलपूर्वक प्राप्त कर उसका दुरुपयोग करते हुए हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की है । उक्त शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3. इस अपील के संबंध में पीड़ित/शिकायतकर्ता द्वारा आज दिनांक 28/04/2026 को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आभासी रूप से उपस्थित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत दिए जाने पर आपत्ति होने की अभिव्यक्ति की गई ।

4. अपीलार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी (सहअभियुक्त) मुख्य अभियुक्त रहा है जिसकी अग्रिम जमानत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है । मामले में ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी (अपीलार्थी/आवेदक) दिनांक–07/02/2026 से अभिरक्षा में है । अभियोगपत्र प्रस्तुत हो चुका है । विचारण में समय लगना संभावित है । अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए ।

5. उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है तथा प्रथम सूचना पत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हितग्राहियों के साथ छलपूर्वक व्यवहार कर शासन की योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि ₹21,50,000/– का दुरुपयोग करने का विशिष्ट आरोप है । मामले में रकम प्राप्त करने वाला मुख्य अभियुक्त, अपीलार्थी ही है । सह अभियुक्त पवन पवन चंद्रवंशी से अपीलार्थी का मामला भिन्न है । विशेष अधिनियम के अंतर्गत अपराध निर्मित होता है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रस्तुत अपील खारिज किया जाए ।

6. उपस्थित पक्ष का तर्क श्रवण किया तथा अभिलेख एवं केस डायरी का परिशीलन किया गया ।

7. अभिलेख के समग्र परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है । प्रथम सूचना पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हितग्राहियों के साथ छलपूर्वक व्यवहार करते हुए उनके लिए शासन की योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का दुरुपयोग किया गया है । मामले में जो कुल राशि ₹21,50,000/– का न्यास भंग हुआ है वह राशि ठेकेदार छोटू चंद्रवंशी (अपीलार्थी/आवेदक) को प्राप्त हुई थी । इस प्रकार वह मुख्य अभियुक्त है । अग्रिम जमानत पर रिहा किए गए तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी (सहअभियुक्त) से उसका मामला भिन्न है, परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त का मामला नियमित जमानत हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता । इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" में कोई अवैधता अथवा अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती है । अतः उसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं पाई जाती । अतः अपील **खारिज** की जाती है ।

8. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन